(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1126–तीन/2000 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–2–2000 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 1913/1996–97 निगरानी

1– लल्लूराम 2– हीरालाल पुत्रगण नाथूराम ब्राहमण
निवासीगण ग्राम पन्नी तहसील मउगॅज जिला रीवा
3– ददनप्रसाद 4– यज्ञनारायण 5– रामगरीव
6– दशरथ 7– रामिमिलन पुत्रगण रामकृष्ण
सभी निवासी ग्राम पन्नी तहसील मउगॅज जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजेश कुमार 2– राकेश कुमार 3– नीलेश कुमार
तीनों पुत्रगण जवाहरलाल
4– जवाहरलाल पुत्र नाथूराम सभी निवासी ग्राम पन्नी
तहसील मउगॅज , जिला रीवा ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 14–09–2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 1913/1996–97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–2–2000 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 से 3 ने तहसीलदार मउगॅज को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम पन्नी स्थित कुल किता 18 रकबा 10.96 के हिस्सा 1/6 की उनके हित में पॅजीकृत बसीयत है

एंव मौके पर काविज होकर खेती कर रहे है इसलिये उक्त भूमि पर उनका कब्जा इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार मउगॅज ने प्रकरण कमांक 114 अ—6—अ/1999—2000 पॅजीबद्व किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। लल्लू, रामकृष्ण एंव हीरालाल ने प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार मउगॅज ने आपत्ति आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 3—6—1997 पारित किया तथा प्रकरण प्रचलन—योग्य होना मानते हुये आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्र0क0 1913/ 1996—97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—2—2000 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक कमांक 1 से 3 ने तहसीलदार मउगॅज को आवेदन देकर मांग की है कि ग्राम पन्नी के कुल किता 18 रकबा 10.96 में हिस्सा 1/6 की उनके हित में पॅजीकृत बसीयत है एंव मौके पर काविज होकर खेती कर रहे है इसलिये उनका कब्जा इन्द्राज किया जाय, जिस पर लल्लू, रामकृष्ण एंव हीरालाल ने प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की है कि विवादित भूमि पर कब्जे का इन्द्राज नहीं किया जा सकता। तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर इसलिये विचार नहीं किया है कि यह जॉच से एंव साक्ष्य से ही प्रमाणित हो सकता है कि विवादित भूमि पर किसका कब्जा है एंव कौन खेती कर रहा है। यह सही भी है कि भूमि के कब्जे एंव विवाद की जॉच होना चाहिये, तभी वास्तविक स्थिति प्रकट हो सकती है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा

प्रकरण कमांक 1913/ 1996—97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—2—2000 में निकाले गये निष्कर्षो से असहमत होने वावत् आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 26—2—2000 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 1913/ 1996—97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—2—2000 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर